



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

19 श्रावण 1942 (श10)  
(सं0 पटना 471) पटना, सोमवार, 10 अगस्त 2020

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

10 अगस्त 2020

एस० ओ० 148, दिनांक 10 अगस्त 2020—बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर, बिहार माल और सेवा कर नियमावली, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम बिहार माल और सेवा कर (सातवाँ संशोधन) नियमावली, 2020 है।

(2) ये 01 अप्रैल, 2020 से प्रवृत्त होंगे।

2. बिहार माल और सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम 7 में, तालिका के स्थान पर निम्नलिखित तालिका को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“तालिका

क्रम संख्या	धारा जिसके तहत संयुक्त उदग्रहण का विकल्प चुना गया है	पंजीकृत व्यक्तियों का प्रवर्ग	कर की दर
(1)	(1क)	(2)	(3)
1.	धारा 10 की उपधारा (1) या (2)	ऐसे विनिर्माताओं से, जो सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाएं, भिन्न विनिर्माता	राज्य में कारोबार का आधा फीसदी
2.	धारा 10 की उपधारा (1) या (2)	अनुसूची 2 के पैरा 6 के खंड (ख) में निर्दिष्ट पूर्तियाँ करने वाला पूर्तिकार	राज्य में कारोबार का ढाई फीसदी

क्रम संख्या	धारा जिसके तहत संयुक्त उदग्रहण का विकल्प चुना गया है	पंजीकृत व्यक्तियों का प्रवर्ग	कर की दर
(1)	(1क)	(2)	(3)
3.	धारा 10 की उपधारा (1) या (2)	धारा 10 की उपधारा (1) या (2) के उपबंधों के अधीन संयुक्त उदग्रहण के लिए पात्र कोई अन्य पूर्तिकार	राज्य में कर योग्य माल और सेवाओं की आपूर्तियों के कारोबार का आधा फीसदी
4.	धारा 10 की उपधारा (2 क)	पंजीकृत व्यक्ति जो धारा 10 की उपधारा (1) या (2) के तहत संयुक्त उदग्रहण के पात्र नहीं हैं, लेकिन धारा 10 के उप-धारा (2क) के तहत कर संदाय का चयन करने के लिए पात्र हैं।	राज्य में माल और सेवाओं की आपूर्तियों के कारोबार का तीन फीसदी।” ।

[(सं०सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध21/2017-(खंड-10)1351)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव ।

10 अगस्त 2020

एस० ओ० 148, दिनांक 10 अगस्त 2020 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017(खंड-10) 1351)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव ।

**The 10th August 2020**

S.O. 148, Date 10th August 2020—In exercise of the powers conferred by section 164 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby makes the following rules further to amend the Bihar Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:-

1. (1) These rules may be called the Bihar Goods and Services Tax (Seventh Amendment) Rules, 2020.

(2) They shall come into force with effect from the 01<sup>st</sup> day of April, 2020.

2. In the Bihar Goods and Services Tax Rules, 2017, in rule 7, for the Table, the following Table shall be substituted, namely:-

“Table

Sl. No.	Section under which composition levy is opted	Category of registered persons	Rate of tax
(1)	(1A)	(2)	(3)
1.	Sub-sections (1) and (2) of section 10	Manufacturers, other than manufacturers of such goods as may be notified by the Government	half per cent. of the turnover in the State
2.	Sub-sections (1) and (2) of section 10	Suppliers making supplies referred to in clause (b) of paragraph 6 of Schedule II	two and a half per cent. of the turnover in the State

Sl. No.	Section under which composition levy is opted	Category of registered persons	Rate of tax
(1)	(1A)	(2)	(3)
3.	Sub-sections (1) and (2) of section 10	Any other supplier eligible for composition levy under sub-sections (1) and (2) of section 10	half per cent. of the turnover of taxable supplies of goods and services in the State
4.	Sub-section (2A) of section 10	Registered persons not eligible under the composition levy under sub-sections (1) and (2), but eligible to opt to pay tax under sub-section (2A), of section 10	three per cent. of the turnover of supplies of goods and services in the State.”.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-10)1351)]

By the order of Governor of Bihar,

Dr. Pratima,

*Commissioner State Tax-cum-Secretary.*

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 471-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>